न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सागवाडा जिला डूँगरपुर

नाम पीठासीन अधिकारी–श्री राजीव द्विवेदी आर0ए0एस0 उपखण्ड अधिकारी सागवाडा

प्रकरण सख्या 11/2021 (2021/00015)

दायर दिनांक– 01.02.2021

फैसल दिनांक–09-02-2021

अनवान

श्री विकास पिता अर्जुनसिह बामणिया निवासी मलवासा तहसील बासवाडा। बनाम भूमिधारी जरिये तहसील सागवाडा।

वाद अन्तर्गत एल0 आर0 एक्ट 1956 की धारा 136 के अन्तर्गत

निर्णय

खसरा नम्बर प्रकरण का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि प्रार्थी/वादी विकास पिता अर्जुनसिह बामणिया निवासी मलवासा तहसील बासवाडा द्वारा इस आशय का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया कि मौजा कराडा का वाडा पटवार मण्डल कराडा में मेरी निजी खातेदारी भूमि खाता संख्या 28 जमाबन्दी सम्वत 2074–2077 में दर्ज रेकार्ड है जिसका खसरा नम्बर 5850/971 रकबा 0.3236 हैक्टेयर दर्ज रेकार्ड होकर मेरे कब्जे काश्त में है। उक्त खसरे की तरमीम होते समय त्रुटिवंश नक्शे लट्ठा में मेरी कब्जेशुदा भूमि पर नही होकर सरकारी बिलानाम खसरा नम्बर 5850/971 में की गई है। अतः उक्त खसरा नम्बर की तरमीम में संशोधन करवाकर मेरी कब्जेशुदा भूमि पर तरमीम कराने का श्रम करावे।

प्रार्थी द्वारा पेश प्रार्थना पत्र राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 136 की प्रकृति का होने से राजस्व वाद में दर्ज रजिस्टर किया जाकर भूमिधारी की रिपोर्ट प्राप्त कि गई।

भुमिधारी की रिपोर्ट अनुसार मौजा कराडा का वाडा के खसरा नम्बर 5850/971 की वर्तमान नक्शा लट्ठा में तरमीम कि हुई है परन्तु वर्तमान में उस पर सरकारी चेकडेम इत्यादी बने होकर प्रार्थी का कब्जा नही है। प्रार्थी का कब्जा मौके पर उक्त तरमीम के पास में ही है जहा प्रार्थी द्वारा तरमीम में संशोधन हेतु परिवाद पेश किया है। प्रार्थी जहा तरमीम करवाना चाहता है वही पर प्रार्थी की कब्जेशुदा भूमि है। खसरा नम्बर 5850/971 की तरमीम प्रार्थी द्वारा बताई जगह पर किये जाने से कोई विवाद नही होने एवं प्रार्थी का कब्जा वही होने से तरमीम में संशोधन किया जाना उचित है।

भूमिधारी/पटवारी हल्का की रिपोर्ट अनुसार प्रार्थी के प्रार्थना पत्र के क्रम मे सकारात्मक रिपोर्ट प्रस्तुत की गई है।

हमने प्रार्थना पत्र, भूमिधारी एवं पटवारी की रिपोर्ट प्रार्थी के प्रार्थना पत्र एवं प्रार्थना पत्र के साथ प्रस्तुत दस्तावेज जमाबन्दी सम्वत 2074–2077,नक्शा ट्रैस नकल मौजा कराडा का वाडा, भूमिधारी की रिपोर्ट का अवलोकन किया। भूमिधारी/पटवारी हल्का की रिपोर्ट अनुसार प्रार्थी द्वारा खसरा नम्बर 5850/971 रकबा 0.3236 हैक्टेयर में प्रार्थी के कब्जे काश्त की भूमि पर तरमीम किया जाना उचित है।

अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र/वाद स्वीकार किया जाकर तहसीलदार सागवाडा को आदेश दिया जाता है कि मौजा कराडा का वाडा में खसरा नम्बर 5850/971 रकबा 0.3236 हैक्टैयर में प्रार्थी के कब्जे काश्त की भूमि को नक्शा लट्ठा में तरमीम किया जावे।

निर्णय अनुसार पालना हेतु तहसीलदार सागवाडा को लिखा जाकर पत्रावली फैसल शुमार हो । नम्बर से कम हो।

(राजीव द्विवेदी)
उपखण्ड अधिकारी
सागवाडा